

# मध्यप्रदेश विधान सभा



**दिसम्बर, 2019 सत्र**

**दैनिक कार्य सूची**

**शुक्रवार, दिनांक 20 दिसम्बर, 2019 (अग्रहायण 29, 1941)**

**समय 11.00 बजे दिन.**

## 1. प्रश्नोत्तर.

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

## 2. पत्रों का पटल पर रखा जाना.

(1) श्री सज्जन सिंह वर्मा, पर्यावरण मंत्री, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 39 की उपधारा (2) एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 35 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-2019 पटल पर रखेंगे.

(2) डॉ.गोविन्द सिंह, सामान्य प्रशासन मंत्री -

(क) मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 35 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग का वार्षिक लेखा प्रतिवेदन वर्ष 2015-2016, तथा

(ख) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 25 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन (01 जनवरी 2016 से 31 दिसम्बर 2016), पटल पर रखेंगे.

(3) श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर, वाणिज्यिक कर मंत्री -

मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 19 सन् 2017) की धारा 166 एवं मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 71 की उपधारा (5) की अपेक्षानुसार निम्न अधिसूचनाएं-

- (1) अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-55-2017-1-पांच-(01), भोपाल, दिनांक 21 जनवरी, 2019,
- (2) अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-12-2018-1-पांच-(02), भोपाल, दिनांक 21 जनवरी, 2019,
- (3) अधिसूचना क्रमांक एफ ए-3-26/2018/1/पांच (04 से 19 तक), भोपाल, दिनांक 8 फरवरी, 2019,
- (4) अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-44-2018-1-पांच-(22), भोपाल, दिनांक 15 फरवरी, 2019,
- (5) अधिसूचना क्रमांक एफ ए-3-61-2017-1-पांच-(21), भोपाल, दिनांक 11 फरवरी, 2019,
- (6) अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-41/2017/1/पांच-(23), भोपाल, दिनांक 6 मार्च, 2019,
- (7) अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-08-2019-1-पांच (24), भोपाल, दिनांक 6 मार्च, 2019,
- (8) अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-09-2019-1-पांच-(25), भोपाल, दिनांक 6 मार्च, 2019,
- (9) अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-10-2019-1-पांच (26), भोपाल, दिनांक 6 मार्च, 2019,
- (10) अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-11-2019-1-पांच (27), भोपाल, दिनांक 6 मार्च, 2019,
- (11) अधिसूचना क्रमांक एफ ए-3-05-2019-1-पांच (28), भोपाल, दिनांक 7 मार्च, 2019,
- (12) अधिसूचना क्रमांक F A-3-42-2017-1-V (68) भोपाल, दिनांक 22 अप्रैल, 2019,
- (13) अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-16-2019-1-पांच (31), भोपाल, दिनांक 17 मई, 2019,
- (14) अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-13-2019-1-पांच (32), भोपाल, दिनांक 17 मई, 2019,
- (15) अधिसूचना क्रमांक एफ ए-3-14-2019-1-पांच (33), भोपाल, दिनांक 17 मई, 2019,
- (16) अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-15-2019-1-पांच (34), भोपाल, दिनांक 17 मई, 2019,
- (17) अधिसूचना क्रमांक एफ ए-3-17-2019-1-पांच (35), भोपाल, दिनांक 17 मई, 2019,
- (18) अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-23/2017/1/पांच (36), भोपाल, दिनांक 17/05/2019,
- (19) अधिसूचना क्रमांक एफ ए-3-32-2017-1-पांच (37), भोपाल, दिनांक 17 मई, 2019,
- (20) अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-42/2017/1/पांच (38), भोपाल, दिनांक 17 मई, 2019,
- (21) अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-47/2017/1/पांच (39), भोपाल, दिनांक 17 मई, 2019,
- (22) अधिसूचना क्रमांक एफ ए-3-18-2019-1-पांच (40), भोपाल, दिनांक 17 मई, 2019,
- (23) अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-19-2019-1-पांच (41), भोपाल, दिनांक 17 मई, 2019,
- (24) अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-33-2017-1-पांच (42), भोपाल, दिनांक 17 मई, 2019,

- (25) अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-20-2019-1-पांच (43), भोपाल, दिनांक 17 मई, 2019,
- (26) अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-21/2019/1/पांच (44), भोपाल, दिनांक 17 मई, 2019,
- (27) अधिसूचना क्रमांक एफ ए-3-22/2019/1/पांच (45), भोपाल, दिनांक 17 मई, 2019,
- (28) अधिसूचना क्रमांक एफ ए-3-02-2017-1-पांच (48), भोपाल, दिनांक 20 जून, 2019,
- (29) अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-25-2019-एक-पांच-(49), भोपाल, दिनांक 29 जून, 2019,
- (30) अधिसूचना क्रमांक एफ ए-3-05-2019-1-पांच-(50), भोपाल, दिनांक 29 जून, 2019,
- (31) अधिसूचना क्रमांक एफ ए-3-32-2017-1-पांच-(51), भोपाल, दिनांक 29 जून, 2019,
- (32) अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-27-2019-1-पांच-(52), भोपाल, दिनांक 29 जून, 2019, (शुद्धि पत्र)
- (33) अधिसूचना क्रमांक एफ ए-3-26-2019-1-पांच-(53), भोपाल, दिनांक 29 जून, 2019,
- (34) अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-24-2019-एक-पांच-(54), भोपाल, दिनांक 29 जून, 2019,
- (35) अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-28-2019-1-पांच(56 से 61), भोपाल, दिनांक 7 अगस्त, 2019,
- (36) अधिसूचना क्रमांक एफ ए-3-31-2019-1-पांच-(58), भोपाल, दिनांक 21 अगस्त, 2019,
- (37) अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-26-2019-1-पांच-(65), भोपाल, दिनांक 27 सितम्बर, 2019,
- (38) अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-26-2019-1-पांच-(66), भोपाल, दिनांक 27 सितम्बर, 2019,
- (39) अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-26-2019-1-पांच-(67), भोपाल, दिनांक 27 सितम्बर, 2019,
- (40) अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-26-2019-1-पांच-(68), भोपाल, दिनांक 27 सितम्बर, 2019,
- (41) अधिसूचना क्रमांक एफ ए-3-18-2018-1-पांच-(20), भोपाल, दिनांक 11 फरवरी, 2019,
- (42) अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-61-2017-1-पांच-(21), भोपाल, दिनांक 11 फरवरी, 2019,
- (43) अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-44-2018-1-पांच (22), भोपाल, दिनांक 15 फरवरी, 2019,
- (44) अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-41/2017/1/पांच (23), भोपाल, दिनांक 6 मार्च, 2019,
- (45) अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-08-2019-1-पांच (24), भोपाल, दिनांक 6 मार्च, 2019,
- (46) अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-09-2019-1-पांच (25), भोपाल, दिनांक 6 मार्च, 2019,
- (47) अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-10-2019-1-पांच (26), भोपाल, दिनांक 6 मार्च, 2019,
- (48) अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-11-2019-1-पांच (27), भोपाल, दिनांक 6 मार्च, 2019,
- (49) अधिसूचना क्रमांक एफ ए-3-05-2019-1-पांच (28), भोपाल, दिनांक 7 मार्च, 2019,
- (50) अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-20/2013/1/पांच (29), भोपाल, दिनांक 8 मार्च, 2019,
- (51) अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-18-2018-1-पांच (30), भोपाल, दिनांक 23 अप्रैल, 2019,
- (52) अधिसूचना क्रमांक F A-3-42-2017-1-V (68) भोपाल, दिनांक 22 अप्रैल, 2019,
- (53) अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-16-2019-1-पांच (31), भोपाल, दिनांक 17 मई, 2019
- (54) अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-13-2019-1-पांच (32), भोपाल, दिनांक 17 मई, 2019,
- (55) अधिसूचना क्रमांक एफ ए-3-14-2019-1-पांच (33), भोपाल, दिनांक 17 मई, 2019,
- (56) अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-15-2019-1-पांच (34), भोपाल, दिनांक 17 मई, 2019,
- (57) अधिसूचना क्रमांक एफ ए-3-17-2019-1-पांच (35), भोपाल, दिनांक 17 मई, 2019,
- (58) अधिसूचना क्रमांक एफए 3-23/2017/1/पांच (36), भोपाल, दिनांक 17.05.2019,
- (59) अधिसूचना क्रमांक एफ ए-3-32-2017-1-पांच (37), भोपाल, दिनांक 17 मई, 2019,
- (60) अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-42/2017/1/पांच (38), भोपाल, दिनांक 17 मई, 2019,
- (61) अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-47/2017/1/पांच (39), भोपाल, दिनांक 17 मई, 2019,
- (62) अधिसूचना क्रमांक एफ ए-3-18-2019-1-पांच (40), भोपाल, दिनांक 17 मई 2019,
- (63) अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-19-2019-1-पांच (41), भोपाल, दिनांक 17 मई, 2019,
- (64) अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-33-2017-1-पांच (42), भोपाल, दिनांक 17 मई, 2019,
- (65) अधिसूचना क्रमांक एफ ए-3-20-2019-1-पांच (43), भोपाल, दिनांक 17 मई, 2019,
- (66) अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-21/2019/1/पांच (44), भोपाल, दिनांक 17 मई, 2019,
- (67) अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-22/2019/1/पांच (45), भोपाल, दिनांक 17 मई, 2019,
- (68) अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-20-2013-1-पांच (46), भोपाल, दिनांक 4 जून, 2019
- (69) अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-40-2018-1-पांच (47), भोपाल, दिनांक 4 जून, 2019,
- (70) अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-02-2017-1-पांच (48), भोपाल, दिनांक 20 जून, 2019, एवं
- (71) अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-25-2019-एक-पांच-(49), भोपाल, दिनांक 29 जून, 2019

पटल पर रखेंगे.

(4) श्री प्रदीप जायसवाल, खनिज साधन मंत्री, मध्यप्रदेश जिला खनिज प्रतिष्ठान नियम, 2016 के नियम 18 (3) की अपेक्षानुसार-

- (क) जिला खनिज प्रतिष्ठान अनूपपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016-2017,
  - (ख) जिला खनिज प्रतिष्ठान बालाघाट एवं जबलपुर के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017-2018, तथा
  - (ग) जिला खनिज प्रतिष्ठान झाबुआ, बालाघाट, अलीराजपुर, जबलपुर एवं सतना के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-2019,
- पटल पर रखेंगे.

(5) श्री प्रियव्रत सिंह, ऊर्जा मंत्री, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 182 की अपेक्षानुसार निम्न अधिसूचनाएं -

(क) क्रमांक एफ-3-26-2019-तेरह, भोपाल, दिनांक 1 अगस्त, 2019, एवं

(ख) क्रमांक एफ-3-26-2019-तेरह, दिनांक 1 अगस्त, 2019,

पटल पर रखेंगे.

(6) श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री, दि वेअरहाउसिंग कार्पोरेशन एक्ट, 1962 (क्रमांक 58 सन् 1962) की धारा 31 की उपधारा (11) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश वेअरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन का 14 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं हिसाब पत्रक वित्तीय वर्ष 2016-2017 पटल पर रखेंगे.

(7) श्री तरुण भनोत, वित्त मंत्री -

(क) मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 (क्रमांक 18 सन् 2005) की धारा 11 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार-

(i) वित्तीय वर्ष 2018-2019 की द्वितीय छः माही के दौरान बजट से संबंधित आय और व्यय की प्रवृत्तियों का छः माही समीक्षा विवरण, एवं

(ii) वित्तीय वर्ष 2019-2020 की प्रथम छः माही के दौरान बजट से संबंधित आय और व्यय की प्रवृत्तियों का छः माही समीक्षा विवरण, तथा

(ख) मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 एवं मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन नियम, 2006 के अंतर्गत अनुपालन एवं पुनर्विलोकन रिपोर्ट वित्तीय वर्ष 2015-2016 एवं 2016-2017,

पटल पर रखेंगे.

### 3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण.

(1) श्री जालम सिंह पटेल, सदस्य, नरसिंहपुर जिले में कृषकों से खरीदे गये चने एवं मसूर का भुगतान न किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री कुणाल चौधरी, श्रीमती कृष्णा गौर, सदस्य, भोपाल दुग्ध संघ के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की मिलीभगत से मिलावटी दूध की बिक्री किये जाने की ओर पशुपालन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) श्री गिरीश गौतम, सदस्य, रीवा जिले के रायपुर कर्चुलियान से सीतापुर मार्ग का निर्माण न किये जाने की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) श्री विनय सक्सेना, सदस्य, एम.पी. ऑन लाईन को अवैध रूप से निजी कम्पनी को दिये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(5) डॉ. सीतासरन शर्मा, सदस्य, इंदौर में मोतियाबिंद के आपरेशन से मरीजों की आंखों की रोशनी जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(6) श्री नारायण पटेल, सदस्य, जिला सहकारी बैंक खंडवा एवं मंदसौर के तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा अनियमितता किये जाने की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(7) श्री रामलाल मालवीय, सदस्य, जबलपुर के खितौला बाजार रेलवे स्टेशन से शराब की दुकान न हटाये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर वाणिज्यिक कर मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(8) सर्वश्री उमाकांत शर्मा, भूपेन्द्र सिंह, सुभाष राम चरित्र, सदस्य, प्रदेश में मिलावटी दूध का कारोबार किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(9) श्री सुभाष राम चरित्र, सदस्य, सिंगरौली जिले में स्थापित सासर पावर प्लांट हेतु अधिग्रहित भूमि के बाद भी कृषकों को लाभ न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(10) श्री प्रदीप पटेल, सदस्य, रीवा जिले के ग्राम पंचायत मिसिरगंवा में कूप निर्माण किये बिना ही राशि का आहरण किये जाने की ओर पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(11) श्री मुरली मोरवाल, सदस्य, ग्वालियर जिले में गेहूं उपार्जन केन्द्र बनाये जाने में अनियमितता किये जाने की ओर खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(12) श्री रामपाल सिंह, सदस्य, रायसेन जिले में कृषकों की अधिग्रहित भूमि का मुआवजा राशि का भुगतान न किये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(13) डॉ. मोहन यादव, श्री पारस चन्द्र जैन, सदस्य, उज्जैन की क्षिप्रा नदी में प्रदूषित जल मिलाने से उत्पन्न स्थिति की ओर नगरीय विकास एवं आवास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(14) श्री देवेन्द्र वर्मा, सदस्य, खण्डवा जिले में स्वसहायता समूह द्वारा तेल के स्थान पर जानवर की चर्बी का उपयोग किये जाने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(15) डॉ. हिरालाल अलावा, सदस्य, सरदार सरोवर परियोजना के डूब प्रभावितों का पुनर्वास न किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर नर्मदा घाटी विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(16) श्री के.पी. त्रिपाठी, सदस्य, म.प्र.बीज निगम द्वारा कृषकों से खरीदे गये अनाज का भुगतान न किये जाने की ओर किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(17) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय, सदस्य, जावरा नगर का मलमूत्र, कचरा आदि नदी में छोड़े जाने से जल प्रदूषित होने से उत्पन्न स्थिति की ओर नगरीय विकास एवं आवास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

- (18) ठाकुर सुरेन्द्र नवल सिंह, सदस्य, बुरहानपुर स्थित नवलसिंह सहकारी सूत मिल को ऋण गारंटी न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.
- (19) श्री अशोक रोहाणी, सदस्य, जबलपुर के मदन महल पहाड़ी क्षेत्र से हटाये गये परिवारों को मूलभूत सुविधा न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर नगरीय विकास एवं आवास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.
- (20) श्री हर्ष विजय गेहलोत, सदस्य, व्यापम घोटाले की एस.टी.एफ. जांच में विलंब होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.
- (21) श्री राकेश पाल सिंह, सदस्य, केवलारी क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ न दिये जाने की ओर पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.
- (22) श्री इन्दर सिंह परमार, सदस्य, शाजापुर जिले में आपराधिक घटनाएं घटित होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.
- (23) श्री रामपाल सिंह, सदस्य, रायसेन जिले के मवाई के नक्शे में सुधार न किये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.
- (24) श्री संजीव सिंह, सदस्य, टीकमगढ़ एवं निवाड़ी जिले में खाद्यान्न परिवहनकर्ता एवं दोषी अधिकारी पर कार्यवाही न होने की ओर खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

#### 4. याचिकाओं की प्रस्तुति.

- (1) श्री रामपाल सिंह, सदस्य, रायसेन जिले के ग्राम चंदनपिपलिया शासकीय हाई स्कूल का भवन स्वीकृत कराये जाने,
- (2) श्री रामकिशोर (नानो) कावरे, सदस्य, बालाघाट जिले की टूटी बाँयी तट नहर से केवाटोला (मघरदर्रा) जाने वाले माईनर पर पुलिया के निर्माण की स्वीकृति प्रदान किये जाने,
- (3) श्री जुगुल किशोर बागरी, सदस्य, सतना जिले के ग्राम सिंहपुर अंतर्गत पटपरनाथ धाम के जीर्णोद्धार हेतु ट्रस्ट बनाये जाने,
- (4) डॉ. योगेश पंडाग्रे, सदस्य, बैतूल जिले के ग्राम बारंगवाड़ी में भुरकालढाना मार्ग की भैसेही नदी पर पुल निर्माण कराये जाने,
- (5) श्री पुरूषोत्तमलाल तंतुवाय, सदस्य, दमोह जिले के अनुविभागीय कार्यालय पुलिस पथरिया से थाना कुम्हारी, पटेरा को पृथक कर हटा अनुभाग (पुलिस) में जोड़े जाने,
- (6) श्री के.पी. त्रिपाठी, सदस्य, रीवा जिले के ग्राम कटकी के पूर्व माध्यमिक विद्यालय का हाई स्कूल में उन्नयन किये जाने,
- (7) श्री प्रणय प्रभात पांडे, सदस्य, कटनी जिले के ग्राम निमास के शासकीय माध्यमिक शाला का हाई स्कूल में उन्नयन किये जाने,
- (8) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय, सदस्य, रतलाम जिले के पिपलौदा नगर में महाविद्यालय का भवन स्वीकृत कराये जाने,
- (9) श्री संजय सत्येन्द्र पाठक, सदस्य, कटनी जिले के विजयराघवगढ़ से बरही मार्ग पर क्रमशः झपावन एवं महानदी पर पूर्व से स्वीकृत उच्चस्तरीय पुलों का निर्माण कराये जाने,
- (10) श्री धर्मेन्द्र सिंह लोधी, सदस्य, दमोह जिले के हरदुआ खुर्द से जोगीखेड़ा तक सड़क निर्माण कराये जाने,
- (11) श्री बहादुर सिंह चौहान, सदस्य, उज्जैन जिले के महिदपुर अंतर्गत पुरातत्व विभाग के किले के नवीन कार्य की स्वीकृति प्रदान किये जाने,
- (12) श्री ठाकुरदास नागवंशी, सदस्य, होशंगाबाद जिले के वनखेड़ी अंतर्गत वार्ड क्र. 02 से एस.एच.22 बस पुल तक रोड का निर्माण कराये जाने,
- (13) श्री अनिल जैन, सदस्य, निवाड़ी जिले के ग्राम धमना, कुडार एवं बिजौर के शासकीय हाई स्कूल का हायर सेकेण्ड्री में उन्नयन किये जाने,
- (14) श्री विक्रम सिंह, सदस्य, सतना जिले के रामपुर बघेलान की नगर परिषद् का नवीन भवन निर्माण कराये जाने,
- (15) श्री उमाकांत शर्मा, सदस्य, विदिशा जिले के नगर सिरोंज के खेल प्रशिक्षण केन्द्र की राशि जारी कराये जाने,
- (16) श्री प्रह्लाद लोधी, सदस्य, पन्ना जिले के ग्राम कल्दा में महाविद्यालय खुलवाये जाने,
- (17) डॉ. सीतासरन शर्मा, सदस्य, होशंगाबाद जिले के इटारसी में रोके गये हितग्राहियों को भी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाये जाने,
- (18) श्री कुंवरजी कोठार, सदस्य, राजगढ़ जिले के सारंगपुर अंतर्गत नगर पंचौर में शासकीय कन्या हायर सेकेण्ड्री स्कूल के भवन निर्माण कार्य की स्वीकृति प्रदान किये जाने,
- (19) श्री बृजेन्द्र सिंह यादव, सदस्य, अशोकनगर जिले के ग्राम बमूरिया में नवीन नल-जल योजना स्वीकृत कराये जाने,
- (20) श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया, सदस्य, शिवपुरी जिले के ग्राम कैमखेड़ा से पड़ोरा तक सड़क निर्माण कराये जाने,
- (21) श्री शैलेन्द्र जैन, सदस्य, सागर जिले के बमानखेड़ी मेन रोड से सुलभ कॉम्प्लेक्स तक सी.सी. रोड का निर्माण कराये जाने,
- (22) श्री शरदेन्दु तिवारी, सदस्य, सीधी जिले के वार्ड क्र. 02 में लिफ्ट इरीगेशन नहर को माईनर नहर से जोड़े जाने,

- (23) श्री प्रताप ग्रेवाल, सदस्य, धार जिले के ग्राम पिपरनी में गाँवखालीया वाली पुलिया का निर्माण कराये जाने,
- (24) श्री जालम सिंह पटेल, सदस्य, नरसिंहपुर जिले के हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि दिलाये जाने,
- (25) श्री शशांक श्रीकृष्ण भार्गव, सदस्य, विदिशा जिले के ग्राम बराखेडा से सौराई बायपास तक सड़क का निर्माण कराये जाने,
- (26) श्री विश्वास सारंग, सदस्य, भोपाल शहर के वार्ड क्र. 37, द्वारका नगर अंतर्गत भूमि पर बुजुर्ग महिला एवं पुरुषों के लिये चौपाल का निर्माण कराये जाने,
- (27) श्री पंचूलाल प्रजापति, सदस्य, रीवा जिले के मनगवां में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को पूर्ववत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में पुनः उन्नयन किये जाने,
- (28) श्री दिनेश राय 'मुनमुन', सदस्य, सिवनी जिले के ग्राम पलारी में चूनाभट्टी के दफाई टोला में स्टाप डेम का निर्माण कराये जाने,
- (29) श्री सोहनलाल बाल्मीक, सदस्य, छिन्दवाड़ा जिले के पटपडा डोमरी से अपतरा मुजावर तालाब तक रोड का निर्माण कराये जाने,
- (30) श्री देवेन्द्र वर्मा, सदस्य, खण्डवा जिले के कालमुखी-मोहना में हायर सेकेण्ड्री स्कूल भवन का निर्माण कराये जाने,
- (31) श्री रघुराज सिंह कंषाना, सदस्य, मुरैना जिले के ग्राम टीकरी में तालाब का निर्माण कराये जाने,
- (32) डॉ. मोहन यादव, सदस्य, उज्जैन जिले के वार्ड क्र. 34 में गउघाट पाले के पास क्षिप्रा नदी पर ब्रिज बनाये जाने,
- (33) श्री आशीष गोविन्द शर्मा, सदस्य, देवास जिले के ग्राम हरणगांव (गोपालपुर) से सिराल्या तक सड़क निर्माण कराये जाने,
- (34) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया, सदस्य, मन्दसौर जिले के ग्राम साबाखेडा में नवीन हायर सेकेण्ड्री स्कूल के भवन का निर्माण कराये जाने,
- (35) श्री राज्यवर्धन सिंह, सदस्य, राजगढ़ जिले के ग्राम बरखेडीगढी से बावडीखेडा तक सड़क का निर्माण कराये जाने,
- (36) श्री दिलीप सिंह परिहार, सदस्य, नीमच जिले के ग्राम कराडिया महाराज में ज्वालामाता पर 100 के. व्ही का अतिरिक्त ट्रांसफार्मर स्थापित कराये जाने,
- (37) श्री सुभाष राम चरित्र, सदस्य, सिंगरौली जिले के बरगवां में नवीन तहसील भवन के निर्माण के साथ नियमित संचालन कराये जाने,
- (38) इंजी. प्रदीप लारिया, सदस्य, सागर जिले के मकरोनिया में खेल स्टेडियम स्वीकृत कराये जाने,
- (39) श्री कुणाल चौधरी, सदस्य, शाजापुर जिले के ग्राम अरनियाकलां में बागौदा रोड से कनाडिया रोड के मध्य नदी पर पुलिया का निर्माण कराये जाने,
- (40) श्री अरविन्द सिंह भदौरिया, सदस्य, भिण्ड जिले के कूप-प्रतापपुरा मार्ग से ग्राम लोर का पुरा तक मार्ग का निर्माण कराये जाने,
- (41) श्री रामखेलावन पटेल, सदस्य, सतना जिले के अमरपाटन अंतर्गत एन.एच. 07 मार्ग के झिन्ना नाले से मैहर ढाबा तक डिवाईडर युक्त सड़क का निर्माण कराये जाने,
- (42) श्री ग्यारसीलाल रावत, सदस्य, बड़वानी जिले के ईदगाह रोड से चारण मोहल्ले तक सड़क निर्माण की स्वीकृति प्रदान किये जाने,
- (43) श्री गिराज डण्डौतिया, सदस्य, मुरैना जिले के दिमनी में स्थित तालाबों की मरम्मत एवं नवीन तालाब का निर्माण किये जाने,
- (44) श्री राकेश पाल सिंह, सदस्य, सिवनी जिले की कांतीवाडा उप तहसील को पूर्ण तहसील बनाये जाने,
- (45) श्री महेेश परमार, सदस्य, उज्जैन जिले के ग्राम परसोली, पचोला, झलारा एवं करंज के सरकारी तालाबों के गहरीकरण एवं जीर्णोद्धार की स्वीकृति प्रदान किये जाने,
- (46) श्री दिलीप सिंह गुर्जर, सदस्य, उज्जैन जिले की कुडेल नदी पर पुलिया का निर्माण किये जाने,
- (47) श्री राकेश गिरि, सदस्य, टीकमगढ़ जिले के अंतर्गत कुण्डेश्वर धाम का समग्र विकास कराये जाने,
- (48) श्री मुरली मोरवाल, सदस्य, उज्जैन जिले के बडनगर में मालगावडी में तालाब का निर्माण कराए जाने,
- (49) श्री गोवर्धन दांगी, सदस्य, राजगढ़ जिले के ग्राम रामपुरिया व कावडियाखेडी में स्टाप डेम की स्वीकृति प्रदान किये जाने,
- (50) श्री मुकेश रावत (पटेल), सदस्य, अलीराजपुर जिले के शासकीय चिकित्सालय में डॉक्टर्स एवं स्टाफ के रिक्त पदों की पूर्ति किये जाने,
- (51) श्रीमती राजश्री रुद्रप्रताप सिंह, सदस्य, विदिशा जिले में शमशाबाद बायपास रोड का निर्माण कराये जाने,
- (52) श्री प्रदीप पटेल, सदस्य, रीवा जिले के ग्राम हाटा स्थित हाटेश्वरनाथ शंकर मंदिर को अतिक्रमण मुक्त कर विकास कार्य कराये जाने, के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

## 5. जल संसाधन मंत्री का वक्तव्य.

श्री हुकुम सिंह कराड़ा, जल संसाधन मंत्री, दिनांक 25 जुलाई, 2019 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 08 (क्रमांक 4018) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य देंगे.

निर्धारित  
समय

## 6. शासकीय विधि विषयक कार्य.

- (1) श्री जयवर्द्धन सिंह, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री, मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 38 सन् 2019) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.
- (2) श्री जयवर्द्धन सिंह, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 35 सन् 2019) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.
- (3) श्री गोविन्द सिंह राजपूत, राजस्व मंत्री, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 40 सन् 2019) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.
- (4) श्री तरुण भनोत, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री, मध्यप्रदेश जिला योजना समिति (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 41 सन् 2019) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.
- (5) श्री पी.सी. शर्मा, अध्यात्म मंत्री, मध्यप्रदेश विनिर्दिष्ट मंदिर विधेयक, 2019 (क्रमांक 42 सन् 2019) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.
- (6) श्री जयवर्द्धन सिंह, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 38 सन् 2019) पर विचार किया जाय.  
उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.
- (7) श्री जयवर्द्धन सिंह, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 35 सन् 2019) पर विचार किया जाय.  
उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.
- (8) श्री गोविन्द सिंह राजपूत, राजस्व मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 40 सन् 2019) पर विचार किया जाय.  
उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.
- (9) श्री तरुण भनोत, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश जिला योजना समिति (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 41 सन् 2019) पर विचार किया जाय.  
उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.
- (10) श्री पी.सी. शर्मा, अध्यात्म मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश विनिर्दिष्ट मंदिर विधेयक, 2019 (क्रमांक 42 सन् 2019) पर विचार किया जाय.  
उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

1 घण्टा  
30 मि.

## 7. वर्ष 2003-2004 के आधिक्य व्यय की अनुदान मांगों पर मतदान.

श्री तरुण भनोत, वित्त मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे-

“ दिनांक 31 मार्च, 2004 को समाप्त हुये वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 35, 68, 84 एवं 94 के लिए स्वीकृत राशि के अतिरिक्त किये गये समस्त आधिक्य व्यय की पूर्ति के निमित्त राज्यपाल महोदय को दो करोड़, छियालीस लाख, छियासठ हजार, छह सौ चवालीस रुपये की राशि दिया जाना प्राधिकृत किया जाय. ”

15 मि.

## 8. शासकीय विधि विषयक कार्य.

श्री तरुण भनोत, वित्त मंत्री, मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-8) विधेयक, 2019 (क्रमांक 34 सन् 2019) का \*पुरःस्थापन करेंगे तथा प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पर विचार किया जाय.  
उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

## 9. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा का पुनर्ग्रहण ... (क्रमशः)

प्रदेश में यूरिया खाद के गंभीर संकट तथा प्रदेश में अतिवृष्टि से फसलों को हुए नुकसान से उत्पन्न स्थिति के संबंध में डॉ. नरोत्तम मिश्र, सदस्य, चर्चा उठायेंगे.

## 10. अशासकीय संकल्प.

(1) श्री संजय सत्येन्द्र पाठक, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

“सदन का यह मत है कि पश्चिम मध्य रेल्वे के कटनी जंक्शन में डी.आर.एम. पद का सृजन कर डी.आर.एम. कार्यालय स्थापित किया जाए.”.

30 मि.

(2) श्री नीलांशु चतुर्वेदी, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

“सदन का यह मत है कि तपोवन क्षेत्र चित्रकूट में जीवंत ऋषि परंपरा को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई जाने हेतु आध्यात्मिक राजधानी बनाया जाए.”.

30 मि.

(3) श्री हरदीप सिंह डंग, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

“यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि सुवासरा से मंदसौर रेल्वे लिंक लाईन जोड़ी जाए.”.

30 मि.

भोपाल :

दिनांक : 19 दिसम्बर, 2019

ए. पी. सिंह  
प्रमुख सचिव,  
मध्यप्रदेश विधान सभा.

\* आधिक्य व्यय की मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत होने के तुरंत पश्चात्.